

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जोधपुर।  
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 76 / 2020

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
01.रतनाराम पुत्र श्री गोकलराम जी जाति विश्नोई निवासी श्री बालाजी नगर ग्राम गुडा विश्नोइयान तहसील लूणी जिला जोधपुर		01.रुकमा पुत्री गोकलराम 02.ओमाराम पुत्र श्री सुरजाराम 03.सुखराम पुत्र श्री सूरजाराम 04.जालाराम पुत्र श्री सूरजाराम जातियान विश्नोई निवासीगण श्री बालाजी नगर ग्राम गुडा विश्नोइयान तहसील लूणी जिला जोधपुर 05.सीता पुत्री सूरजाराम पत्नि श्री पप्पजी जाति विश्नोई निवासी ग्राम फीचं तहसील लूणी जिला जोधपुर। 06.मंगली पत्नि श्री सूरजाराम जाति विश्नोई निवासी श्री बालाजी नगर ग्राम गुडा विश्नोइयान तहसील लूणी जिला जोधपुर 07.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

उपस्थिति -

- 01.वादी की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार देवडा उपस्थित।  
02.प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजपात उपस्थित।

दावा वास्ते बटवाडा कृषि जोत अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ।

निर्णय

दिनांक:- 12/9/2023

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण में दिनांक 18.04.2022 को बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेश पारित किया जाकर वाद प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार लूणी द्वारा ग्राम श्री बालाजी नगर पटवार हल्का गुडा विश्नोइयान, तहसील लूणी के खसरा संख्या 34 की कुल भूमि रकबा 106 बीघा 12 बिस्वा का बंटवाड़ा प्रस्ताव तहसीलदार लूणी के पत्रांक/भू.अ./2023/1431 दिनांक 26.07.2023 को तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बंटवाड़ा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 10.07.2023 अनुसार खसरा संख्या 34 कुल रकबा 106 बीघा 12 बिस्वा भूमि के खातेदारों के रूबरू बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किया गया जिसके अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव निम्न अनुसार हैं :-

क्र. सं.	खातेदार	खसरा संख्या	रकबा(बीघा)	किस्म	लगान
1	ओमाराम पुत्र सुरजाराम जाति विश्नोई सा, देह खातेदार	34	3.4804	बारानी प्रथम	

पुखराज कांसोटिया  
राजस्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
लूणी

2	सुखराम पुत्र सुरजाराम जाति विश्वनोई सा देह खातेदार	34	2.9335	बारानी प्रथम
3	सीता पुत्री सुरजाराम जाति विश्वनोई सा, देह खातेदार	34	0.4785	बारानी प्रथम
4	जालाराम पुत्र सुरजाराम जाति विश्वनोई सा, देह खातेदार	34	0.1558	बारानी प्रथम
5	मंगली पत्नि सुरजाराम जाति विश्वनोई सा, देह खातेदार	34	0.1553	बारानी प्रथम
6	रतनाराम पुत्र गोकलराम जाति विश्वनोई सा, देह खातेदार	34	1.9110	बारानी प्रथम
		34	4.3698	
		कुल रकबा	6.2808	
7	ओमाराम पुत्र सुरजाराम हिस्सा 226/466 जाति विश्वनोई सा, देह खातेदार , पुखराज पुत्र खमुराम हिस्सा 120/466 जाति विश्वनोई सा, देह खातेदार , राजूराम पुत्र छोगाराम हिस्सा 120/466 जाति विश्वनोई सा, देह खातेदार 8 के 126 कुडी भगतासनी हाउसिह बोर्ड जोधपुर	34	3.7715	बारानी प्रथम

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव की मौका फर्द में उपरोक्त हिस्से अनुसार नजरी नक्शा भी मौके पर काबिज अनुसार तथा हिस्से अनुसार दर्शाया गया है तथा सभी खातेदारों के आने जाने हेतु रास्ते का रकबा भी छोड़ा गया है ऐसी स्थिति में वादी का वाद बंटवाड़ा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 10.07.2023 अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

#### आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया जाता है कि ग्राम श्री बालाजी नगर पटवार हल्का गुडा विश्वनोइयान तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 34 कुल रकबा 106 बीघा 12 बिस्वा के सम्बन्ध में बंटवाड़ा प्रस्ताव की मौका फर्द दिनांक 10.07.2023 में दर्शाये गये हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मौका फर्द दिनांक 10.07.2023 इस आदेश का अभिन्न



सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
लूणी

अंग समझी जावेंगी। तहसीलदार लूणी मौका फर्द दिनांक 10.07.2023 के अनुसार राजस्व रेकर्ड में आवश्यक अमल दरामद कर वादी तथा प्रतिवादीगण के खाते में मौका फर्द बटवाड़ा प्रस्ताव में दर्शाये गये हिस्से अनुसार अलग अलग खाते में दर्शाये गये व नजरी नक्शों अनुसार राजस्व नक्शों में इन्द्राज एंव तरमीम दर्ज करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैंशल शुमार होकर दाखिल दफतर हों ।

(पुखराज कांसोटिया) अधिकारी,  
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

निर्णय आज दिनांक 12/9/2023 को बसरे ईजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



(पुखराज कांसोटिया)RAS  
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

डिकरी बमुकदमें इब्तादाई  
(आर्डर 20, रूल.6-7, जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी  
पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया RAS  
राजस्व वाद संख्या : 76/2020

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
01 रतनाराम पुत्र श्री गोकलराम जी जाति विश्नोई निवासी श्री बालाजी नगर ग्राम गुडा विश्नोइयान तहसील लूणी जिला जोधपुर		01..रुकमा पुत्री गोकलराम 02.ओमाराम पुत्र श्री सुरजाराम 03.सुखराम पुत्र श्री सूरजाराम 04.जालाराम पुत्र श्री सूरजाराम जातियान विश्नोई निवासीगण श्री बालाजी नगर ग्राम गुडा विश्नोइयान तहसील लूणी जिला जोधपुर 05.सीता पुत्री सूरजाराम पत्नि श्री पप्पजी जाति विश्नोई निवासी ग्राम फीचं तहसील लूणी जिला जोधपुर। 06.मंगली पत्नि श्री सूरजाराम जाति विश्नोई निवासी श्री बालाजी नगर ग्राम गुडा विश्नोइयान तहसील लूणी जिला जोधपुर 07.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर।

दावा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 76/2020 यह आज मुकदमा वास्ते इनकिलास किलई रू-ब-रू हमारे बह्वाजरी वादी मिनजानिब मुदर्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती हैं कि

अत- तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि ग्राम श्री बालाजी नगर पटवार हल्का गुडा विश्नोइयान के खसरा नम्बर 34 रकबा 106 बीघा 12 बिस्वा मे मौका फर्द दिनांक 10.07.2023 के अनुसार राजस्व रेकर्ड में आवश्यक अमल दरामद कर वादी तथा प्रतिवादीगण के खाते में मौका फर्द बटवाडा प्रस्ताव में दर्शाये गये हिस्से अनुसार अलग अलग खाते में दर्शाये गये व नजरी नक्शें अनुसार राजस्व नक्शें में इन्द्राज करे तरमीम दर्ज करें।

नीज.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकुदमें के मय सूद व वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख व तारीख वसुलयावी तक.....को अदा करें।

बसीबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 12/9/2023 को जारी की गई।



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
लूणी

मुद्दाई	रुपया	पै.	मुद्दायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी  
 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
 लूणी